न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस. द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01 / 2009
जीसीएमएस नं. 15 / 2009
प्रविष्टि दिनांक 30.01.2009

सरकार जरिए तहसीलदार देवली जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

अम्बालाल पुत्र दारू व सोसर बेवा दारू भील निवासी कासीर तहसील देवली जिला–टोंक

–अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
बाबत् निरस्त करने नामान्तरकरण सं. 29, 32 व 37 ग्राम बासजोधा

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार
2. श्री विजय बहादुर सिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 28/11/25

पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 07.01.2009 द्वारा रिमाण्ड किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की गई। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार देवली ने भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित किया है कि अप्रार्थीगण के पिता / पति दारू पुत्र लखमा भील निवासी कासीर तहसील देवली को ग्राम बासजोधा में दिनांक 16.05.1984 को आराजी खसरा नम्बर 2 में 2 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवण्टित की गई थी जिसका कब्जा आवंटी दारू पुत्र लखमा भील को तत्समय ही दिया जाकर गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 26.04.1986 को स्वीकृत हो चुका था। प्रा० पत्र में अंकित किया है कि उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही रहा है। जिसके कारण सेटलमेन्ट में उक्त भूमि सिवायचक होकर आई तथा भू प्रबन्ध के बाद बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आवण्टन का हवाला देकर नये राजकीय खसरा नं० 180 में से रकबा 0.50 है० भूमि पर गैरखातेदारी का नामान्तरकरण सं० 29 दिनांक 16.04.1994 को स्वीकृत किया। उक्त अनियमित नामान्तरकरण सं० 29 के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण सं० 32 दिनांक 14.06.1994 को स्वीकृत किया जिससे अप्रार्थीगण के नाम भूमि गैर खातेदारी में आई। गैर खातेदारी के नामान्तरकरण के 3 माह पश्चात् नामान्तरकरण सं. 37 से खातेदारी अधिकार दिए गए। प्रा० पत्र में अंकित किया है कि उक्त भूमि बीसलपुर परियोजना क्षेत्र के डूब क्षेत्र में आ चुकी थी तथा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 का प्रकाशन भी हो चुका था किन्तु इसके बावजूद अप्रार्थीगण को तत्कालीन तहसीलदार देवली ने बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

खातेदारी अधिकार दिये जो भी अवैधानिक है। चूंकि गैर खातेदारी ही नियमों के विपरीत हुई है। अतः इसके आधार पर तस्दीक किए गए नामान्तरकरण भी खारिज योग्य है। अतः नामान्तरकरण सं० 29, 32 व नामान्तरकरण संख्या 37 को निरस्त करने हेतु रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में भिजवाने हेतु पेश किया गया।

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2003 को अभिशंषा पारित कर रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया गया।

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ने निर्णय 07.01.2009 द्वारा प्रकरण को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 की विज्ञप्ति प्रकाशित होने संबंधी तथ्यों की जांच करें व उपयुक्त होने पर पुनः रेफरेंस की कार्यवाही कर सकेंगे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पेरोकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

राजकीय पेरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि अप्रार्थी को विवादित भूमि दिनांक 16.05.1984 को आवंटित हुई। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नही रहा तथा उसके द्वारा नियम 14(3) में अंकित आवण्टन शर्तों की पालना भी नही की इसके बावजूद तत्कालीन तहसीलदार देवली ने सेटलमेन्ट के पश्चात पुराने आवण्टन को आधार मानकर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के राजकीय खसरा नंबर में उक्त आवण्टन का हवाला देते हुऐ अप्रार्थीगण के पिता/पति के पक्ष में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं० 29 तस्दीक किया जो अवैधानिक हैं। इसी प्रकार उक्त भूमि बीसलपुर परियोजना क्षेत्र के डूब क्षेत्र में आ चुकी थी जिसकी भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 के तहत विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अप्रार्थीगण को गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकारी प्रदान किये। राजकीय अभिभाषक/पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि उपरोक्त परिस्थितियों में चूंकि तहसीलदार सक्षम अधिकारी नहीं थे अतः उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर अप्रार्थीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये है जो अवैधानिक तथा नियमों के विपरित हैं। अतः नामान्तकरण निरस्त करवाने हेतु रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावें।

अभिभाषक गैर रेफरेन्सकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.01.2009 में स्पष्ट विवेचन कर निर्देश दिये गये है। उक्त विवेचन एवं निर्देशों के आलोक में रेफरेन्स खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण के पिता/पति को ग्राम बासजोधा के खसरा नम्बर 2 में रकबा 2 बीघा भूमि दिनांक 16.05.1984 को आवण्टन होना सिद्ध है। तत्कालीन तहसीलदार देवली ने आवंटी दारू भील को उक्त खसरा नम्बर से सेटलमेन्ट में बने नये खसरा नंबर 180 में से 0.50 है. पर पूर्व आवण्टन के आधार पर मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक गैर खातेदारी से खातेदारी दी है जो नियमानुसार है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीग

आवंटी दारू भील का आवण्टित भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। तहसीलदार नामान्तरकरण भरने हेतु सक्षम अधिकारी थे। नामान्तरकरण विधिवत रूप से खोला गया है। धारा 4 बी भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत धारा 4 का प्रथम प्रकाशन ग्राम बासजोधा का 30.11.1989 को हुआ था जिसमें कम संख्या 11 पर खसरा नं0 1 किता 1 रकबा 166.0 दर्ज है लेकिन अम्बालाल पुत्र दारू व सोसर बेवा दारू भील निवासी कासीर गैर खातेदारी आवंटन दिनांक 16.05.1984 गैर खातेदारी नामा. स्वीकृत दिनांक 16.04.1994 खसरा नम्बर 221/180 रकबा 0.50 हैक्टेयर से संबंधित धारा 4 की विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 30.10.1995 को हुआ था। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि खातेदारी अधिकार भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 का प्रकाशन होने से पूर्व ही दी जा चुकी थी जो कि सही एवं वैधानिक है। अतः प्रा०पत्र रेफरेन्स योग्य नहीं है जिसे निरस्त किया जावें।

हमने राजकीय पेरोकार एवं अप्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अप्रार्थीगण के पिता/पति दारू पुत्र लखमा भील को ग्राम बासजोधा में दिनांक 16.05.1984 को आराजी खसरा नंबर 2 में 2 बीघा भूमि आवण्टित हुई थी जिसका पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 26.04.1986 को स्वीकृत हुआ था। उक्त भूमि भू–बन्दोबस्त में सिवायचक होकर आई तथा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 2 के नये राजकीय ख0नं0 180 बने। सेटलमेन्ट के बाद तत्कालीन तहसीलदार देवली ने उक्त आवण्टन को आधार मानते हुये अप्रार्थीगण के पिता/पति दारू पुत्र लखमा के पक्ष में दिनांक 16.04.1994 को गैर खातेदारी का नामान्तरणकरण सं० 29 खोला। पुनः नामान्तकरण संख्या 32 से यह भूमि विरासत के आधार पर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई। दिनांक 15.07.1994 के अनुसार अप्रार्थीगण को खातेदारी तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकृत की गई जिसका नामान्तकरण संख्या 37 भी तस्दीक किया जा चुका है।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 07.01.2009 में दिए निर्देशों में कम में प्रार्थी को खातेदारी, अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 की विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से पूर्व में दी गई या बाद में दी गई, इस संबंध में उत्पन्न विराधाभास की स्थिति स्पष्ट करने के लिए तहसीलदार देवली से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार देवली ने अपने पत्र कमांक 3625 दिनांक 03.12.2024 से रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें अंकित किया कि ग्राम बासजोधा से संबंधित आर एल 309.00 मी. तक बीसलपुर परियोना के बीसलपुर बांध के डूब में आने वाले ग्राम वार भूमि का विवरण केन्द्रीय भूमि अधिनियम 1894 की धारा (4) की कार्यवाही हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 का प्रकाशन दिनांक नवम्बर 30, 1989 को हुआ था। इसके पश्चात विज्ञप्ति दिनांक 30.10.1995 संख्या 28/भू.अ./91/4806 द्वारा बीसलपुर की आर एल 315.50 तक की जमीन तथा आर एल. 316.40 तक के मकानों के लिए भूमि [illegible] 4 की विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें कम संख्या 29 पर अम्बालाल पुत्र दारू व

न्यायालय ... जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

सोसर बेवा दारू भील का नाम अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट हैं धारा 4 बी भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत धारा 4 का प्रथम प्रकाशन ग्राम बासजोधा का 30.11.1989 को हुआ था जिसमें क्रम सं. 11 पर खसरा नं0 1 किता 1 रकबा 166.0 दर्ज है जिसमें विवादित भूमि खसरा नं0 2 का कोई उल्लेख नहीं है। जबकि अम्बालाल पुत्र दारू व सोसर बेवा दारू भील के खसरा नम्बर 221/180 रकबा 0.50 हैक्टेयर से संबंधित धारा 4 की विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 30.10.1995 को हुआ था।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 2 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम बासजोधा की खातेदारी धारा 4 की विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक 30.10.1995 से पूर्व दिनांक 15.07.1994 को ही दी जा चुकी थी जिस हेतु तहसीदार सक्षम अधिकारी थे। इस प्रकार अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार विधि–विधान एवं नियमों के अनुकूल दिये गये थे। अतः माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 07.01.2009 में प्रदत्त निर्देशों के आलोक में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 28/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सोकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक